

12⁶/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.।
प्राथमिक पत्र आदेश 47 नियम-10
सपठित द्वारा 114, 115 व 151 CPE
पर उभयपक्ष की बहस सुनी
गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड
का अध्ययन किया गया। पत्रावली
पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन
व उभयपक्ष वकुलाय की बहस
पर मनन के पश्चात् हस्तगत

3

प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्राचीन
गण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा
खारिज राजकीय सिवाय चक्र भूमि से
शस्ते के आवेदन को पुनः पुनर्विलोकन
के माध्यम से बदलने की मांग की
जा रही है। जबकि आदेश- 47 नियम
10 सपष्टित धारा 114, 115 एवं रिव्यू के
संबंध में विधि के प्रावधानों के अध्यायन
से यह स्पष्ट है कि रिव्यू के द्वारा
किसी पूर्व पारित निर्णय / आदेश को
उल्टा नहीं जा सकता। इस प्रकार रिव्यू
में न्यायालय के समक्ष सीमित स्कोप
है खिटाजा प्राचीनगण द्वारा पट्टुत रिव्यू
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर नंबर से
क्रम हो।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली